Saathi

Date ___/___/____

आलोक कुमार राय (प्रवक्ता)
लोकबन्धु राजनारायण विधि महाविद्यालय

विधि शासन :-

प्रो० ए० वी० डायसी अपनी पुस्तक 'दी लॉ ऑफ दी कन्सटिट्यूशन' (1885) में 'विधि शासन' की व्याख्या किया। उन्होंने कहा कि –

'विधि शासन' का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी अवस्था या पद जो कुछ भी हो देश की सामान्य विधियों के अधीन और साधारण न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर है। इसका एक अपवाद सम्राट है जो कभी गलती नहीं करता। शक्तियों के अधिकार का स्रोत संविधान न होकर न्यायालय द्वारा निर्वचन व प्रवर्तन है।'

प्रो० डायसी के अनुसार विधि शासन से तात्पर्य निम्नलिखित तीन बातों से है –

1. **विधि की सर्वोच्चता या मनमानी शक्तियों का अभाव :-**
इसमें एक व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन के लिए दण्डित किया जा सकता है किसी अन्य बात के लिए नहीं अर्थात् यहाँ विधि सर्वोच्च है न कि सरकार की मनमानी शक्ति।

2. **विधि के समक्ष समता :-**
इसका तात्पर्य है सभी वर्ग समान विधि के अधीन है और उन्हें सामान्य न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। इसका एक अपवाद सम्राट है जो कभी गलती नहीं करता है। इंग्लैण्ड में प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह साधारण नागरिक हो या अधिकारी सभी एक विधि मानने के लिए बाध्य हैं। सरकारी कर्मचारियों हेतु पृथक न्यायालय (जैसा फ्रांस में है) नहीं है।

REDMI NOTE 7 PRO

Saathi

Date __/__/__

3. संविधान सामान्य विधि का परिणाम है :-

इसका तात्पर्य यह है कि शक्तियों के अधिकार का स्रोत संविधान नहीं वरन न्यायालय द्वारा नियमों के निर्वचन और उनके प्रवर्तन पर आधारित है।

प्रथम दो तत्व क्रमश विधि की सर्वोच्चता व मनमानी शक्तियों का अभाव और विधि के समक्ष समता भारत में लागू होता है किन्तु तीसरा तत्व लागू नहीं होता है क्योंकि भारत में व्यक्तियों के अधिकारों का स्रोत संविधान है।

विधि शासन राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध किये गए अमानवीय व्यवहारों से संरक्षण प्रदान करने के लिए हर सम्भव उपायों को अपनायें तथा ऐसे लोगों को दण्ड भी दे। यदि राज्य ऐसा नहीं करता है तो विधिशासन पर से लोगो का विश्वास समाप्त हो जाएगा।

अनु० 14 में निहित 'विधि शासन' संविधान का आधारभूत ढाँचा है इसे अनु० 368 के अधीन संशोधन करके नष्ट नहीं किया जा सकता।

जैसे इंग्लैण्ड में सम्राट को उन्मुक्ति प्रदान है वैसे भारत में भी यह आत्यन्तिक नहीं है यहाँ भी अपवाद है। उदाहरण के लिए विदेशी कूटनीतिज्ञों को न्यायालय की अधिकारिता से विमुक्ति प्रदान किया गया है अनु० 361 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति, प्रान्तों के राज्यपालों, लोक अधिकारियों, न्यायालयों के न्यायधीशों और भूतपूर्व राज्यों के नरेशों को ऐसी विमुक्तियाँ प्रदान की गई है। ऐसा उनकी विशेष स्थिति, विशेष पद व विशेष जिम्मेदारियों के कारण किया गया है ताकि वे देश के प्रति अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वहन कर सकें।

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA